सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः- 27/प्रेसनोट/2021 13 जनवरी 2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-बिलरियागंज

थाना रौनापार में हुई लूट एव थाना बिलरियागंज में हुई हत्या के प्रयास की घटना का सफल अनावरण करते हुए लूट की 1,58,000 रूपये एवं एक अदद देशी रिवाल्वर,एक अदद अवैध तमंचा मय कारतूस एवं मोटरसाईकिल के साथ चार अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 10.01.2021 को थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ में ग्राम जमीन रसूलपुर रोड पर पीकअप चालक से 1,59,040/- रूपये दो मोटर साइकिल सवार बदमाश लूट लिये थे, जिसके आधार पर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ पर मु0अ0सं0 09/21 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया।

दिनांक 04.12.2020 को बिन्दवल बाजार में खुर्रम आलम नोमानी के भाई सवीह आलम नोमानी उर्फ शब्बू को अपाची मोटर साइकिल सवार दो अज्ञात बदमाशो ने जान से मारने की नियत से लक्ष्य बनाकर फायर कर दिया था । जिससे सवीह आलम नोमानी उर्फ शब्बू गम्भीर रूप से घायल हो गये । जिसके सम्बन्ध में थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ पर मु0अ0सं0 209/2020 धारा 307 भादवि बनाम अज्ञात अभियुक्त गण पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया,लूटेरो की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद आजमगढ़ श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 12.01.2021 को थानाध्यक्ष बिलरियागंज श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह व प्रभारी थाना रौनापार उ0नि0 सन्तोष कुमार मय हमराहियान लूट की घटना के अनावरण एवं वांछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र मे मौजूद थे। उसी दौरान मुखबिर कि सूचना दिया कि पावर हाऊस के आस-पास कुछ व्यक्ति अवैध असलहे के साथ किसी घटना को कारित करने हेतु मौजूद है। इस सुचना पर पुलिस बल द्वारा बिलरियागंज पावर हाऊस से बाईपास जाने वाले रास्ते पर पावर हाऊस से कुछ आगे पहुचकर देखे कि दो मोटरसाईकिल पर चार व्यक्ति आते दिखाई दिये। पुलिस द्वारा रोकने पर अचानक पुलिस बल को देखकर दो मोटर साइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस पार्टी पर लक्ष्य बनाकर जान से मारने के नियत से फायर किये । पुलिस बल द्वारा प्रशिक्षित तरिके से अपना बचाब कर एक बारगी दबिश देकर घेर घारकर एक मोटर साइकिल अपाची पर सवार दो बदमाशो को समय 10.45 बजे रात्रि में गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तो से नाम पता पुछने पर उन्होने अपना नाम क्रमशः (1) संजय यादव पुत्र प्रदीप यादव निवासी पाँती खुर्द थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ (2) योगेन्द्र सरोज उर्फ किन्नू पुत्र पोही पासवान सा0 पुराबाल नरायण थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ बताया। गिरफ्तार अभियुक्तगण की मौके पर तलाशी से उनके कब्जे से थाना रौनापार के लूट के 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार रूपये) नगद तथा मु0अ0सं0 209/2020 धारा 307 भादवि थाना बिलरियागंज की घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल अपाची तथा एक अदद अवैध तमंचा,एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर एवं एक अदद देशी रिवाल्वर व एक अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद किया गया तथा दो व्यक्ति रात्रि में अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। गिरफ्तार अभियुक्तगण से फरार अभियुक्तो का नाम पता पुछने पर 1. गुड्डू यादव पुत्र पप्पू यादव सा0

मनचोभा थाना कोतवाली आजमगढ़ 2. बसन्त यादव पुत्र कल्पू यादव सा0 मनचोभा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ बताये। रौनापार लूट के शेष धनराशी के बारे में कड़ाई से पूछने पर गिरफ्तार अभियुक्तगणो ने बताया कि शेष पैसे फरार दोस्तो के पास है। गिरफ्तारी एव बरामदगी के आधार पर थाना बिलरियागंज पर क्रमशः 1. मु0अ0सं0 09/21 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम संजय यादव 2.मु0अ0सं0 10/21 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम योगेन्द्र सरोज उर्फ किन्नू के पंजीकृत किया गया।

इसी क्रम में पुनः आज दिनांक 13.01.2021 को थानाध्यक्ष बिलरियागंज एवं थाना प्रभारी रौनापार मय हमराहियान द्वारा फरार अभियुक्तो की गिरफ्तारी एवं रौनापार लूट के शेष रूपये की बरामदगी हेतु जैगहा बाजार मे मौजूद थे कि मुखबिर खास की सूचना पर 1. गुड्डू यादव पुत्र पप्पू यादव सा0 मनचोभा थाना कोतवाली आजमगढ़ 2. बसन्त यादव पुत्र कल्पू यादव निवासी मनचोभा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को जैगहा बाजार से समय 05.10 बजे गिरफ्तार किया गया। मौके पर तलाशी से अभियुक्तगण के पास से लूट के शेष 38,000/- रूपये बरामद कर समस्त गिरफ्तार अभियुक्तगणो का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1.संजय यादव पुत्र प्रदीप यादव सा0 पाँती खुर्द थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

2. योगेन्द्र सरोज उर्फ किन्नू पुत्र पोही पासवान सा0 पुराबाल नरायण थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

3. गुड्डू यादव पुत्र पप्पू यादव सा0 मनचोभा थाना कोतवाली आजमगढ़

4. बसन्त यादव पुत्र कल्पू यादव सा0 मनचोभा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

बरामदगी

1. 1,58,000/- (एक लाख अट्ठावन हजार) रूपये नगद सम्बन्धित मु0अ0सं0 09/2021 धारा 392/411 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 209/2020 धारा 307 भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ़ की घटना में प्रयुक्त एक अदद अपाची मोटर साइकिल बिना नम्बर सफेद रंग

3. एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा व एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर

4. एक अदद देशी रिवाल्वर 32 बोर व एक अदद जिन्दा कार0 32 बोर

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 08/21 धारा 307/34 भादवि थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ।

2.मु0अ0सं0 09/21 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम संजय यादव थाना बिलरियागंज आजमगढ।

3.मु0अ0सं0 10/21 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम योगेन्द्र सरोज थाना बिलरियागंज आजमगढ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली गठित टीम

1. थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह थानाध्यक्ष बिलरियागंज आजमगढ़।

2. उ0नि0 श्री सन्तोष कुमार प्रभारी थाना रौनापार आजमगढ़।

3. उ0नि0 श्री ओमप्रकाश यादव-प्रथम, उ0नि0 श्री कन्हैया लाल मौर्य, उ0नि0 श्री ओमप्रकाश यादव-द्वितीय।

4. का0 नितिन कुमार श्रीवास्तव, का0 नितिन कुमार, का0 अरविन्द कुमार, म0का0 स्वाती शुक्ला, हे0क0 भीम प्रसाद, का0 विनय यादव थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

5. का0 रितेश तिवारी व का0 राजेश कुमार थाना रौनापार आजमगढ़।